

संगत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य प्रदाधिकारी के नाम से सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो



तार : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2341801  
फैक्स : (0751) 2341768  
ई-मेल : registrar@jiwaji.edu  
वेबसाइट : www.jiwaji.edu

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर-474011 (म.प्र.)

क्र : जीविवि/अकादमी/2019/ 12061(A)

दिनांक : 15.03.2019

प्रति  
Pasharat c/ali,  
Moly Mangarpara,  
W/o Franz Smith's Shopian  
JMK-192303

विषय:-पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय-सम्बन्धित आपको अवगत कराया जाता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आपको अंग्रेजी विषय में पी-एच.डी. हेतु प्रवेश दिया गया था। किन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत कि आप उक्त अवधि में अन्यत्र सेवास्त हैं। शिकायत की सत्यता की जाँच हेतु प्राचार्य, अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर को पत्र भेजकर जानकारी चाही गई थी। प्राचार्य द्वारा आपकी दिनांक 16/06/2015 से दिनांक 28/02/2016 की उपस्थिति प्रमाणित कर भेजी गई है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त अवधि का आपको वेतन भुगतान भी किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोर्स वर्क की अवधि में शामिल है। आपके द्वारा पी-एच.डी. आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में कहीं भी सेवास्त न होने का उल्लेख किया गया है, अतः आपके द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र तथा प्राचार्य अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर द्वारा सेवास्त रहने संबंधी प्रमाणीकरण के आधार पर आपको दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संगत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य मदाधिकारी के नाम से सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो



तार : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2341801  
फैक्स : (0751) 2341768  
ई-मेल : registrar@jiwaji.edu  
वेबसाइट : www.jiwaji.edu

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर-474011 (ग.प्र.)

क्र : जीविवि/अकादमी/2019/ 12061(A)

दिनांक : 15.03.2019

प्रति,  
M. Yogesh Gani,  
Koil Pulwama,  
Jammu Kashmir.

विषय: पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आपको अंग्रेजी विषय में पी-एच.डी. हेतु प्रवेश दिया गया था। किन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत कि आप उक्त अवधि में अन्यत्र सेवास्त हैं। शिकायत की सत्यता की जाँच हेतु प्राचार्य, अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर को पत्र भेजकर जानकारी चाही गई थी। प्राचार्य द्वारा आपकी दिनांक 27/03/2014 से दिनांक 20/04/2015 की उपस्थिति प्रमाणित कर भेजी गई है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त अवधि का आपको वेतन भुगतान भी किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोर्सा वर्क की अवधि में शामिल है। आपके द्वारा पी-एच.डी. आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में कहीं भी सेवास्त न होने का उल्लेख किया गया है, अतः आपके द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र तथा प्राचार्य अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर द्वारा सेवास्त रहने संबंधी प्रमाणीकरण के आधार पर आपको दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो



तार : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2341801  
फैक्स : (0751) 2341768  
ई-मेल : registrar@jiwaji.edu  
वेबसाइट : www.jiwaji.edu

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर-474011 (म.प्र.)

क्र : जीविवि/अकादमी/2019/ 12061(A)

दिनांक : 15.03.2019

प्रति

Ajeaz Ahmad Mallu,  
Tarigam, P/o Tarigam  
Teh. Kulgarn, Dist. Kulgarn J&K-192232

विषय: पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आपको अंग्रेजी विषय में पी एच.डी. हेतु प्रवेश दिया गया था। किन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत कि आप उक्त अवधि में अन्यत्र सेवारत हैं। शिकायत की सत्यता की जाँच हेतु प्राचार्य, अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर को पत्र भेजकर जानकारी चाही गई थी। प्राचार्य द्वारा आपकी दिनांक 13/06/2014 से दिनांक 27/04/2015 की उपस्थिति प्रमाणित कर भेजी गई है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त अवधि का आपको वेतन भुगतान भी किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोर्स वर्क की अवधि में शामिल है। आपके द्वारा पी-एच.डी. आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में कहीं भी सेवारत न होने का उल्लेख किया गया है, अतः आपके द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र तथा प्राचार्य अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर द्वारा सेवारत रहने संबंधी प्रमाणीकरण के आधार पर आपको दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो



तार : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2341801  
फैक्स : (0751) 2341768  
ई-मेल : registrar@jiwaji.edu  
वेबसाइट : www.jiwaji.edu

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर-474011 (म.प्र.)

क्र : जीविवि/अकादमी/2019/ 12061(A)

दिनांक : 15.03.2019

प्रति,  
Manzoor Ahmad Wani,  
Lengpura, Pulwama  
Kashmir

विषय:-पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय सम्बन्धित जानकारी उपरोक्त कक्षावा जाता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आपको अंग्रेजी विषय में पी एच.डी. हेतु प्रवेश दिया गया था। किन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत कि आप उक्त अवधि में अन्यत्र सेवारत हैं। शिकायत की सत्यता की जांच हेतु प्राचार्य, अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर को पत्र भेजकर जानकारी चाही गई थी। प्राचार्य द्वारा आपकी दिनांक 27/03/2016 से दिनांक 28/02/2015 की उपस्थिति प्रमाणित कर भेजी गई है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त अवधि का आपको वेतन भुगतान भी किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोर्स वर्क की अवधि में शामिल है। आपके द्वारा पी-एच.डी. आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में कहीं भी सेवारत न होने का उल्लेख किया गया है, अतः आपके द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र तथा प्राचार्य अमरसिंह महाविद्यालय, श्रीनगर द्वारा सेवारत रहने संबंधी प्रमाणीकरण के आधार पर आपको दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पी-एच.डी. में प्रवेश निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

